न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
02/2025	111, 128 LRA	08.01.2025	29.01.2025

मुकेश कंवर पत्नी स्व0 भंवरसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
2. मस्जिद काजियान जरिये अध्यक्ष वक्फ बोर्ड जयपुर

–अप्रार्थीगण–

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री ऋषिराजसिंह शेखावत
2 पैरोकार राज

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि

1.यह कि खेत खसरा नम्बर 1944/1565 रकबा 2.6052 हैक्टेयर रोही मौजा चूरू तहसील चूरू प्रार्थीया के खातेदारी वा कब्जा काश्त की है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र हाजा के साथ पेश है।

2.यह कि प्रार्थी के खेत के चिपते ही खसरा संख्या 246 रोही मौजा चूरू स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में मस्जिद काजियान के नाम से दर्ज अंकित चली आ रही है उक्त भूमि प्रार्थीया के खातेदारी की कृषि भूमि के दक्षिण सींव की तरफ चिपते स्थित है प्राथीर्या का उक्त खेत कस्बा चूरू के निकट स्थित है तथा द्रक्षिण सीमा का अंकन स्पष्ट नहीं है जिससे प्रार्थीया वा अप्रार्थी के बीच सीमा को लेकर तनाजा रहता है तथा पुख्ता सींव नहीं होने से सीमा को लेकर झगड़ा फसाद एवं तनाव रहता है इसलिए प्रार्थीया के लिए आवश्यक हो गया है कि अपने खातेदारी वा कब्जा काश्त की कृषि भूमि का पुख्ता सीमांकन करवाया जाये जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

3.यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 246 रोही मौजा चूरू राजस्व रिकॉर्ड में मस्जिद काजियान के नाम से दर्ज अंकित चली आ रही है परन्तु उक्त भूमि पर शहर के बदमाश वा भूमाफिया लोगो द्वारा अवैध वा अनाधिकृत रूप से कृषि भूमि के अलावा प्रयोजन में उपयोग लिया जा रहा है जिसके पालना में सड़क डाल रखी है वा मकान वा आवास का निर्माण चालू है तथा शहर के गरीब वा अनपढ लोगो को गुमराह करने उक्त भूमि विक्रय की जा रही है जिसका उन्हे कतई अधिकार नहीं है उक्त क्रेतागण अब बवैध भूमि क्रय कर प्रार्थीय की दक्षिणी सींव काटकर अंदर घुसकर दक्षिणी सींव को गोल कर दिया है तथा एक बीघा से अधिक भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयास में है जिसका प्रार्थीया द्वारा विरोध किया गया तो सभी बदमाश लोग मौके पर इकट्ठा होकर शान्ति व्यवस्था खराब करने वा भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर उतारू हो गए है जिसका उन्हे तई अधिकार नहीं है उक्त भू माफिया लोग उक्त [illegible] पैसा का उपयोग शहर की शांति व कानून व्यवस्था खराब करने मे कर रहे है इस[illegible] नियमों के मुताबिक प्रार्थीया अपने अपने खातेदारी भूमि का सुरक्षित रखने [illegible] के लिए यह पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र अदालतवाला में प्रस्तुत करता [illegible] जाकर मौके पर पटवार हल्का वा गिरदावर हल्का के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा वा नक्शा [illegible] मुताबिक पत्थरगढी करवाया जावें जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:53 IST
Reason: SelfAttested

4u.

4. यह कि अप्रार्थी सं. 1भूमिधारक है और भविष्य में सीमा को लेकर कोई विवाद ना रहे इसलिए अप्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है।

5.यहकि पत्थरगढी व निशानदेही में लगने वाला खर्चा प्रार्थी वहन करने को तैयार है तथा अदालतवाला को इस प्रार्थना पत्र के सुनवाई के अधिकार प्राप्त है। पत्थरगढी तहसीलदार साहब चूरू के माध्यम से अनुभवी पटवारी व गिरदावर की टीम गठित की जाकर कारवाई की जानी आवश्यक है। एवं मौके पर झगड़ा फसाद होने की संभवना है। इसलिए पुलिस को इकदाद हेतु आदेशित किया जावें।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। एवं खेत ख नं. 1944/1565 रकबा 2.6052 रोही मौजा चूरू अप्रार्थी सं. 1 से टीम गठित करवाई जाकर नपती करवाई जाकर इस खेत में पुख्ता पत्थरगढी व सीमांकन करवाया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी सं. 01 पर विधिवत तामील होने के बावजूद अप्रार्थी सं. 02 की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आने से अप्रार्थी सं. 02 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

उपरोक्तानुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पेश दस्तावेजात् के अवलोकन एवं बहस के तथ्यों पर मनन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत कृषि भूमि ख.नं 1944/1565 रोही कस्बा चूरू की भूमि प्रार्थी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है एवं एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपस में झगड़े होते रहने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थी संख्या 01 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। एसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे प्रार्थी उसकी खातेदारी कृषि भूमि का सीमा ज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना उचित नहीं हो। इसलिए उक्त सीमा विवाद के स्थायी समाधान् के लिए तथा अपने खेत की सीमाओं की सुरक्षा हेतु को विधिवत सीमा ज्ञान कर पत्थरगढी करवाने का अधिकार है। प्रार्थी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होने से नियमानुसार अपनी कृषि भूमि का सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी का खर्चा वहन करने हेतु तैयार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मद्देनजर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीया के खातेदारी की भूमि खेत खसरा नं. 1944/1565 तादादी 2.6052 हैक्टेयर की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थीया से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए दोनों पक्षों के खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें।

आदेश आज दिनांक [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:53 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू